न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः 12/02/2025 रजू दिनांकः 08.01.2024 रजि0 न0 2025/2

अपीलार्थीः–

एडवोकेट मनीष सोनी निवासी भगवती सदन, स्वामी दयानंद मार्ग, रेलवे स्टेशन के पास, अलवर जिला अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 28.01.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम,2005) की धारा–6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिनांक 05.11..2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 14.01.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिलिपि पत्रांक सम/98 दिनांक 24.01.2025 प्रेषित कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांक 05.11.2024 के माध्यम से दिनांक 12.07.2024 के अनुसरण में की गई कार्यवाही संबंधी सूचना चाही गई थी। जिसके कम में अपीलार्थी को कार्यालय पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/97 दिनांक 24.01.2025 के द्वारा कार्यालय स्तर पर प्रभारी अधिकारी, सामान्य प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, अलवर को पत्र सं. 2101 दिनांक 07. 11.2024 एवं पत्र सं. 2282 दिनांक 04.12.2024 के माध्यम से सूचना प्रेषण हेतु अग्रेषित किया गया किन्तु समयान्तर में सूचना अप्राप्त रहने के कारण समय पर सूचना प्रेषित नहीं की जा सकी है। अब प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, (द्वितीय) अलवर के पत्र संख्या सामान्य/2025/193 दिनांक 24.01.2025 के माध्यम से सूचना (कुल 01 पृष्ठ) प्राप्त हुई है जो मूल ही भिजवाई जाकर अपीलार्थी को सूचित किया गया है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध पत्रांक 193 दिनांक 24.01.2025 के माध्यम से प्राप्त सूचना (कुल 01 पृष्ठ) मूल ही भिजवाई जाकर उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक **28.01.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)